



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1413]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932

No. 1413]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

सं. 53/2010-आय-कर

का.आ. 1666(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ग के उप-नियम (2) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उप-खण्ड (vi) तथा (viक) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 852(अ) दिनांक 30 मई, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, मद (iv) के लिए, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः :-

“(iv) आयकर निदेशक (छूट) हैदराबाद, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद-III, हैदराबाद, विहित प्राधिकारी होंगे।”

[फा. सं. 197/15/2010-आ.क.नि.-1]

पदम सिंह, अवर सचिव (आ.क.नि.-1)

टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 852(अ), दिनांक 30 मई, 2007 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2010

No. 53/2010-Income-tax

S.O. 1666(E).—In pursuance of the provisions contained in sub-clauses (vi) and (via) of clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (2) of rule 2C of the Income-tax Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Direct Taxes, number S.O. 852(E), dated the 30th May, 2007, namely :-

In the said notification, for item (iv), the following item shall be substituted, namely :-

“(iv) for cases falling in the jurisdiction of Director of Income Tax (Exemption), Hyderabad, the prescribed authority shall be Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad-III, Hyderabad.”

[F. No. 197/15/2010-ITA-I]

PADAM SINGH, Under Secy. (ITA-I)

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide, number S.O. 852(E), dated the 30th May, 2007.